रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 1994/श्रावण 10, 1916
No. 113] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 1, 1994/SRAVANA 10, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 228/(पी एन)/92–97

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1994

फा. सं. आई पी सी – 4/5/(365)/92–97 :—नियात-आयात नीति, 1992–97, यथासंशोधित के पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 1992–97 में निम्नलिखित संशोधन करते है :—

अध्याय – 4 में

(1) पैराग्राफ 6क के बदले निम्न को रखा जाएगा :—

"फिजी, ईराक, यूगोस्लाविया (सर्बिया और मांटेनिग्रो) और हैती को छोड़कर किसी भी देश से/को आयात/निर्यात बैध होगा बशर्ते कि जब तक इसका अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।"

(2) पैराग्राफ 6ब के बदले निम्न को रखा जाएगा :—

"बहरहाल, परिशिष्ट – 45 में निर्दिष्ट मदों का लीबिया को निर्यात निषिद्ध है।"

2. परिशिष्ट – 45 में, निम्नलिखित संशोधित किये जाएंगे :—

(1) शीर्षक के बदले निम्नलिखित को रखा जाएगा :—
"उस माल की सूची जिन्हें भारत के किसी भी पत्तन या स्थान से लीबिया को निर्यात के लिए निषिद्ध किया गया है।"

(2) धारा "क" के सामने उल्लिखित हैती को निर्यात के लिए निषिद्ध मदों की सूची हटा दी जाएगी।

(3) मौजूदा धारा "ख" जिसमें "लीबिया को निर्यात के निषिद्ध मदों की सूची" दी गई है को दुबारा से "क" सूची के अनुसार बनाया गया है।

3. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया गया है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 228|(PN)|92-97

New Delhi, the 1st August, 1994

F. No. IPC-4|5(365)|92-97.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992-97 :—

In Chapter IV :

(1) Paragraph 6A shall be substituted by the following :—

"Unless otherwise specifically provided, import|export will be valid from|to any country in the world except Fiji, Iraq, Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and Haiti."

(2) Paragraph 6B shall be substituted by the following : —

"Export of the items, specified in Appendix XLV, to Libya is, however, prohibited."

2. In Appendix XLV, the following amendments shall be made :—

(1) The heading shall be substituted by the following :—

"LIST OF GOODS WHICH ARE PROHIBITED FOR EXPORTS FROM ANY PORT OR PLACE IN INDIA TO LIBYA."

(2) The List of Items, prohibited for export to Haiti appearing against Clause 'A' shall be deleted.

(3) The existing clause 'B' containing "List of items, prohibited for export to Libya" shall be renamed as 'A'.

3. This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994